राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3429/2025

सीताराम गुर्जर

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.07.2025
आदेश की दिनांक : 28.07.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.पी. सैनी, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी दिनांक 30.06.2025 के अभ्यावेदन के माध्यम से अपीलार्थी ने असाधारण परिस्थितियों के कारण वर्तमान नियुक्ति स्थान अर्थात राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रोहिड़ा, जिला सिरोही से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी को राजस्थान लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के अनुसार, दिनांक 01.02.2024 के आदेश द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रोहिड़ा, जिला सिरोही में वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर प्रारंभिक नियुक्ति दी गई थी। (अनुलग्नक–2) दिनांक 01.02.2024 के नियुक्ति आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी ने दिनांक 5.02. 2024 को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रोहिड़ा में वरिष्ठ अध्यापिका (संस्कृत) पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रोहिड़ा, सिरोही में कनिष्ठ सहायक के पद पर टीना रोहिन नामक एक महिला भी कार्यरत है, जो उसी गाँव रोहिड़ा की स्थानीय निवासी है। उसने जुलाई, 2024 में पुलिस स्टेशन रोहिड़ा में अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 376, 406 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक फर्जी और मनगढ़ंत प्राथमिकी संख्या 40/2024 दर्ज कराई, जिसकी पुलिस द्वारा जाँच के बाद झूठी पाई गई और प्राथमिकी संख्या 138/2024 दर्ज की गई। उपरोक्त प्राथमिकी को राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा 22.12.2024 को

स्वीकार कर लिया गया है। (अनुलग्नक–3) इस अवधि के दौरान, उक्त टीना रोहिन ने दबाव में आकर दिनांक 11.07.2024 को अपीलार्थी से विवाह कर लिया और तत्पश्चात उसने विद्वान ग्राम न्यायालय, पिंडवाड़ा में अपीलार्थी और उसके भाई के विरुद्ध घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अंतर्गत आपराधिक वाद संख्या 69/2024 दायर किया, जिसमें माननीय राष्ट्रीय लोक अदालत ने दिनांक 22.12.2024 के आदेश द्वारा आदेश पारित किया। (अनुलग्नक–4) टीना रोहिन ने अपीलार्थी के विरुद्ध विभिन्न शिकायतें प्रस्तुत कीं, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी और उक्त टीना रोहिन के बीच समझौता हो गया, जिसके तहत उन्होंने तलाक लेने का निर्णय लिया और अपीलार्थी द्वारा उक्त टीना रोहिन को 6,21,000/– रुपये का भुगतान करने का भी निर्णय लिया, जिसका भुगतान अपीलार्थी द्वारा 31.12.2024 को कर दिया गया और इस आशय की रसीद भी अपीलार्थी द्वारा दी गई। (अनुलग्नक–5) अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग से जयपुर जिले में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति का अनुरोध किया। प्रत्यर्थी विभाग ने उसे प्रतिनियुक्ति पर रखा, लेकिन टीना रोहिन द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध की गई झूठी शिकायतों के कारण, अपीलार्थी की उक्त प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई और उसे पुनः राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रोहिड़ा में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया। अपीलार्थी ने नवंबर, 2024 में कार्यभार ग्रहण किया। टीना रोहिन द्वारा अपीलार्थी का उत्पीड़न बंद नहीं किया गया और उसने पुनः अपीलार्थी के विरुद्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अंतर्गत रोहिड़ा पुलिस स्टेशन में दिनांक 31.03.2025 को एफआईआर संख्या 83/2025 दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जाँच की और दिनांक 23.04.2025 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति न्यायालय, शाहपुरा (जयपुर) में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह माना गया कि जाँच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, एफआईआर में लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए और झूठे हैं, इसलिए एफआईआर संख्या 16/2025 प्रस्तुत की गई है। (अनुलग्नक–6) अपीलार्थी ने दिनांक 24.06.2025 को माननीय शिक्षा मंत्री को एक आवेदन भी प्रस्तुत किया था कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रोहिड़ा की स्टाफ सदस्य टीना रोहिन द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज झूठी एफआईआर और मुकदमों के कारण उसे किसी अन्य स्थान पर प्रतिनियुक्ति पर रखा जाए, परन्तु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। (अनुलग्नक–7)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के

पद पर वर्तमान पदस्थापन स्थान अर्थात राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रोहिड़ा, सिरोही से अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष